

फार्म नं.- III
फर्ड अहकाम
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जसोदा

मुकाम श्रीविजयनगर
सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

नम्बर30..... सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025 /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
28.03.2025	<p>प्रार्थी की ओर से दिनांक 21.03.2025 जनसुनवाई शिविर ग्राम पंचायत 3 एसएडी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजों में नाम जसोदा है जबकि ग्राम 7 एलसी के खाता सं. 35 में प्रार्थीया के नाम से दर्ज 13/1366 हिस्सा में नाम यशोदा है को दुरुस्त कर जसोदा दर्ज करने के आदेश दिए जावें। प्रकरण में उप तहसीलदार जैतसर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। उप तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से जांच करवाने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट में दुरुस्ती करने की अनुशंसा की है। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड में नाम जसोदा दर्ज है। प्रशासक, ग्राम पंचायत 3 एसएडी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार यशोदा व जशोदा एक ही लड़की के दो नाम है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार उक्त रकबा जरिए विरासत नामान्तरकरण के प्राप्त हुआ है। टीसी कक्षा 8 में जसोदा नाम दर्ज है। रिकार्ड में यशोदा के स्थान पर जशोदा उर्फ यशोदा दर्ज किया जाना उचित अंकित किया है।</p> <p>ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों, प्रशासक ग्राम पंचायत 3 एसएडी के प्रमाण पत्र एवं पटवारी हल्का तथा उप तहसीलदार जैतसर की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम 7 एलसी के खाता सं. 35 में प्रार्थी के नाम से दर्ज भूमि हिस्सा 13/1366 में प्रार्थीया के नाम यशोदा के स्थान पर यशोदा उर्फ जशोदा उर्फ जसोदा दुरुस्त कर दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय की प्रति उप तहसीलदार जैतसर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



शकुन्तला

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर